



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012023-241693
CG-DL-E-05012023-241693

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3]
No. 3]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 5, 2023/पौष 15, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 5, 2023/PAUSHA 15, 1944

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2023

फा. स. एवी.19032/5/2015-एएआई-एमओसीए.—राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 की धारा 26 की उप-धारा (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से सक्षम प्राधिकारी, एतद्वारा राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -

इस नीति में, खंड (घ) में, पैरा 14 में, निम्नलिखित परन्तुक को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

“पंजीकरण संख्या वीटी-एईई, वीटी-एईएफ, वीटी-एईजी, वीटी-एईएच और वीटी-एईआई वाले पांच बोइंग बी777-200 एलआर विमानों को शामिल किए जाने की तारीख से 42 महीने की अवधि के लिए गगन अधिदेश से छूट दी गई है, बशर्ते ये विमान केवल आईएलएस अनुपालनकर्ता हवाईअड्डों के लिए/से उड़ान भरेंगे।”

रुबीना अली, संयुक्त सचिव

नोट: राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 को दिनांक 29 जून, 2016 में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित किया गया था और दिनांक 7 जनवरी, 2019, 12 जून, 2020 और 18 अगस्त, 2022 की अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd January, 2023

F. No. AV-19032/5/2015-AAI-MOCA.—In exercise of the powers conferred by sub-section (a) of section 26 of the National Civil Aviation Policy, 2016, the Central Government with the approval of the Competent Authority, hereby makes the following further amendments in the National Civil Aviation Policy, 2016, namely:-

In the said Policy, in paragraph 14, in clause (d), the following proviso shall be inserted namely:-

“Five Boeing B777-200 LR aircraft bearing registration No. VT-AEE, VT-AEF, VT-AEG, VT-AEH & VT-AEI are exempted from the GAGAN mandate for a period of 42 months from the date of induction with a condition that these aircraft will fly to/from ILS complaint airports only.”

RUBINA ALI, Jt. Secy.

Note: The National Civil Aviation Policy, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part 1, Section 1, dated 29th June, 2016 and amended vide notifications dated 7th January, 2019, 12th June, 2020 and 18th August, 2022.